

तारीख हुक्म	सुप्रीम कोर्ट के बचाने वाले रामसिंह हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दोषा मु.नं. 3/2012	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी
30.03.2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने पूर्व में दिनांक 23.02.2022 को प्रार्थना पत्र विद्वा पेश कर वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्वा किये जाने का निवेदन किया गया था। वकील वादी के निवेदन पर वादपत्र को विद्वा कर खारीज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">(दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> 	